

आदेश

संचिका संख्या-02/CMT-16/2014 परि0

पटना, दिनांक-

राज्य के सभी जिलों के वाहन डीलरों को उनके पूर्व से लंबित निबंधन प्रमाण-पत्र को स्मार्टकार्ड में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश सं0-296 दिनांक-20.01.2017 द्वारा डीलर प्वाइंट पर निबंधन की प्रक्रिया को स्थगित किया गया था।

जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा वाहन डीलरों को उनके लंबित निबंधन प्रमाण-पत्र को स्मार्टकार्ड में उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त जिला परिवहन कार्यालय-भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, मधेपुरा, बेतिया, पटना, मोतिहारी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल एवं वैशाली जिनका स्मार्टकार्ड वितरण संतोषजनक नहीं है, को छोड़कर अन्य सभी जिला परिवहन कार्यालयों को डीलर प्वाइंट पर निजी वाहनों के निबंधन की अनुमति प्रदान की जाती है।

विभागीय आदेश संख्या-296 दिनांक-20.01.2017 को इस हद तक शिथिल किया जाता है।

ह0/-


संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 02/सी0एम0टी0-16/2014 परि0 1371

पटना, दिनांक-20/3/2017

प्रतिलिपि- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।